३।६७

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल :bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि० प्रा०/नि० 1-03/2019 1779 /पटना, दिनांक 09/11/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1714 दिनांक 31.10.2019 द्वारा राज्य के प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसकी एक प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है।

2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 5 (3) के अनुसार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी संस्था/ स्थापना/ संगठन या ऐसे निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों पर निगरानी रखने के लिए और ऐसे कार्यों को करने के लिए जैसा कि निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा जाय, एक पर्यवेक्षक मनोनीत करेगा, जो राज्य सरकार का एक पदाधिकारी होगा।

अधिनियम के उक्त प्रावधान के आलोक में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त पैक्स निर्वाचन संपन्न कराने के लिए पैक्स निर्वाचन की निगरानी हेतु प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी। सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाएगा।

3. पैक्स निर्वाचन के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की नियुक्ति पर्यवेक्षक के रूप में करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलों से यथायोग्य पदाधिकारियों (सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों को छोड़कर) की सूची प्राप्त कर अपने स्तर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जिसके लिए उन्हें प्रधिकृत किया जाता है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जायेगा कि किसी जिले में पदस्थापित पदाधिकारी को उसी जिले में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाय, अर्थात् किसी पदाधिकारी को उनके पदस्थापन वाले जिले से भिन्न जिले में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

4. इस वर्ष राज्य के पैक्सों का निर्वाचन पाँच चरणों में निर्धारित है, इसलिए एक पर्यवेक्षक एक से अधिक प्रखंड के लिए प्रतिनियुक्ति किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके अधीन प्रखंडों में निर्वाचन अलग चरण में हो। नियुक्ति पत्र के साथ पर्यवेक्षक से संबंधित प्राधिकार के अनुदेशों को भी अवश्य संलग्न किया जायेगा। प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु दिनांक 26.11.2019 से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अत: यह आवश्यक है कि आपके द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति **दिनांक 15.11.2019 तक** कर लिया जाय। नियुक्ति के पश्चात् प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सभी पर्यवेक्षकों का नाम, मोबाईल नंबर एवं आवंटित प्रखंड के नाम के साथ पूर्ण सूचना प्राधिकार को **दिनांक 16.11.2019 तक** फैक्स तथा ई-मेल से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

BSEA dt.07.11.2019 Vasant

5. सहकारी समितियों का निर्वाचन अन्य निर्वाचनों से भिन्न प्रकृति का है, इसलिए इसके निर्वाचन से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी पर्यवेक्षक को होनी आवश्यक है। इसके लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। दिनांक 19.11.2019 एवं 20.11.2019 को पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण भी प्राधिकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

6. पर्यवेक्षक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों (नामांकन से लेकर मतदान तक) के साथ-साथ मतगणना कार्य पर भी गहरी नजर रखेंगे और जहाँ कहीं भी उन्हें प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप मतदान का संचालन/ मतगणना कार्य संपन्न नहीं कराये जाने की जानकारी मिलेगी, वे संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को समुचित मार्गदर्शन देंगे तथा वस्तुस्थिति से जिला निर्वाचन प्रदाधिकारी (स०स०)/ प्रमंडलीय आयुक्त/ प्राधिकार को भी अवगत करायेंगे।

7. पर्यवेक्षकों द्वारा तीन विभिन्न अवसरों पर प्रतिवेदन जिला निर्वाचन प्रदाधिकारी (स०स०)/ प्रमंडलीय आयुक्त/ प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम प्रतिवेदन नामांकन से लेकर प्रतीक आवंटन तक का, द्वितीय प्रतिवेदन मतदान समाप्त होने तक का एवं अंतिम प्रतिवेदन मतगणना समाप्त होने के 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदनों के अतिरिक्त आवश्यक समझे जाने पर पर्यवेक्षक अलग से भी प्रतिवेदन भेज सकेंगे। तीनों प्रतिवेदनों का विहित प्रपत्र संलग्न है।

8. पर्यवेक्षकों के कर्त्तव्य एवं दायित्व से संबंधित विस्तृत अनुदेश एवं नियुक्त पत्र के प्रारूप की प्रति इसके साथ संलग्न है। नियुक्त पर्यवेक्षक प्रमंडलीय आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे एवं अवकाश में जाने की अनुमति भी जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दी जायेगी।

प्रत्येक प्रमंडलीय आयुक्त प्रखंड के कुल पर्यवेक्षक बल का दस प्रतिशत प्रखंड पर्यवेक्षक सुरक्षित भी रखेंगे।

9. पर्यवेक्षक के संबंध में पूर्व में निर्गत अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक: यथोक्त।

8/11/19

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1779 /पटना, दिनांक : 09/11/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)/ सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 1779 /पटना, दिनांक : 09/11/2019

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

पर्यवेक्षक (Observer) नियुक्ति पत्र

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 5 (3) तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाना है।

बिहारा राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक .... दिनांक .... द्वारा यह शक्ति अधोहस्ताक्षरी को सौंपी गई है जिसके आलोक में श्री .... पदनाम ....कार्यालय .... पता .... को प्रखंड .... जिला .... के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

प्राधिकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका इस नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न है।

नियुक्त पर्यवेक्षक अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे एवं अवकाश में जाने की अनुमति या विमुक्ति की अनुमति संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) की अनुशंसा पर दी जायेगी।

नियुक्त पर्यवेक्षक ''पर्यवेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका'' में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए संबंधित प्रखंड के पैक्सों का निर्वाचन एवं मतगणना संपन्न कराएँगे।

आयुक्त

.... प्रमंडल

पर्यवेक्षकों द्वारा यथासंभव निम्न् प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा :-

प्रथम प्रतिवेदन (नामांकन से लेकर प्रतीक आवंटत तक)

.... समिति का निर्वाचन, ... (वर्ष)

प्रतिवेदन पदवार (समिति के) तैयार किया जायेगा

पर्यवेक्षक का नाम एवं पदनाम	पद का नाम	कुल दाखिल नामांकन पत्र	संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	नामांकन पत्रों की संवीक्षा/ प्रतीक आवंटन में कोई अनियमितता पाये जाने पर पर्यवेक्षक के स्तर से की गयी कार्रवाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

स्थान :

तिथि : पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपिः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, .../ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को सूचनार्थ प्रेषित।

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

द्वितीय प्रतिवेदन (मतदान समाप्त होने तक)

.... समिति का निर्वाचन, ... (वर्ष)

पर्यवेक्षक का नाम एवं पदनाम	भ्रमण की तिथियाँ	चुनाव प्रचार/ निर्वाचन व्यय की अधिसीमा/ आदर्श आचार संहिता के संबंध में अनुपालन की स्थिति	मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान के संचालन की स्थिति	95% से अधिक मतदान होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को प्रतिवेदन भेजा गया अथवा नहीं	अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

स्थान :

तिथि : पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपिः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, .../ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को सूचनार्थ प्रेषित।

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

अंतिम प्रतिवेदन (मतगणना समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर)

अंतिम प्रतिवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जायेगा :-

(i) मतगणना कार्य की शुद्धता

(ii) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन का संचालन निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होने के संबंध में

(iii) मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदान दलों का गठन, विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं मतदान हिंसा को रोकने तथा मतदाताओं को भयभीत करने से रोकने हेतु की गयी निरोधात्मक कार्रवाईयाँ

(iv) आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाये गये कदम एवं इसके उल्लंघन के मामले में की गयी कार्रवाई

(v) उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिसीमा से अधिक व्यय करने के बिन्दु पर नजर रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा किये गये उपाय

(vi) भविष्य के लिए सुझाव

ऊपर इंगित प्रतिवेदनों के अतिरिक्त आवश्यक समझे जाने पर पर्यवेक्षक अलग से भी विहित प्राधिकारियों को प्रतिवेदन भेज सकेंगे।

पर्यवेक्षकों (Observers) के लिये मार्गदर्शिका

वैधानिक प्रावधान

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008

(अध्याय-4)

नियम **10.** पर्यवेक्षकों की शक्तियाँ एवं अधिकारिता - (1) पर्यवेक्षक निर्वाचन के स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए समुचित पर्यवेक्षण रखेगा और निर्वाचन का संचालन के लिए प्रतिनियुक्त या कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उसे समुचित सहयोग देंगे।

(2) नियम- 9 के अधीन नामनिर्दिष्ट पर्यवेक्षक को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित करने की शक्ति होगी, यदि पर्यवेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियुक्त स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों या मतदान के लिए नियत स्थान पर निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिये गये हो या खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या छेड़-छाड़ की गयी हो कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

(3) जहां पर्यवेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस नियम के अधीन निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित करे, वहा पर्यवेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन प्राधिकार को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन प्राधिकार सभी तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात समुचित निदेश जारी करेगा।

स्पष्टीकरण - नियम 9 के प्रयोजनार्थ 'पर्यवेक्षक' में राज्य निर्वाचन प्राधिकार का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस नियम के अधीन किसी संस्था या स्थापना या संगठन या निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्त्तव्य राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा गया हो।

पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निष्ठा से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में प्राधिकार को समुचित सहयोग प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे। पर्यवेक्षक अपनी अधिकारिता में पड़ने वाले क्षेत्र में निर्वाचन प्रबंध तंत्र, उम्मीदवारों और मतदाताओं के मध्य सुसंगत अधिनियम, नियमावलियों, निर्वाचन प्रणालियों तथा प्राधिकार के निदेशों का कड़ाई एवं निष्पक्ष ढंग से पालन हेतु अपने पर्यवेक्षकीय दायित्व का निर्वहन करेंगे तथा उनके अनुपालन की स्थिति से प्राधिकार को अवगत करायेंगे। प्राधिकार का सीधा प्रतिनिधि होने के नाते पर्यवेक्षकों से उम्मीदवारों एवं मतदाताओं को भी काफी उम्मीदें रहती हैं। अतः पर्यवेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में प्राधिकार एवं मतदाताओं तथा उम्मीदवारों के बीच एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कड़ी का कार्य करेंगे।

प्रशिक्षण

- नियुक्त सभी पर्यवेक्षकों के लिए प्राधिकार द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्हें ड्यूटी के संबंध में प्राधिकार के निदेश भी उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक पर्यवेक्षक को भाग लेना आवश्यक होगा। यदि किसी पर्यवेक्षक को सुरक्षित सूची में रखा जाता है, तो तत्संबंधी जानकारी भी उन्हें प्रशिक्षण में दे दिया जाएगा। पर्यवेक्षक अपना सम्पर्क नंबर अथवा उसमें किसी परिवर्तन की सूचना प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को देंगे, जो उसकी प्रति प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

पर्यवेक्षकों के लिये सामग्री

- प्रशिक्षण में प्रत्येक पर्यवेक्षक को एक फोल्डर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सूचना का प्रकाशन, निर्वाचन संचालन से संबंधित प्राधिकार के निदेश, प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, निर्वाचन हस्तक की हस्तपुस्तिका, मतगणना हस्तपुस्तिका, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान केन्द्रों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (आवंटित प्रतीक चिन्ह सहित), राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अधिकारियों/जिले के वरीय असैनिक एवं आरक्षी पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या/मोबाईल नंबर, मतगणना कार्यक्रम इत्यादि के बारे में सूचना रहेगी।

प्राधिकार से पत्राचार का माध्यम

- पर्यवेक्षक सामान्यतया प्राधिकार के संयुक्त सचिव से पत्राचार करेंगे तथा सम्पर्क में रहेंगे। किसी गंभीर विषय में उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के संबंध में पर्यवेक्षक मुख्य चुनाव पदाधिकारी से सीधे भी सम्पर्क कर सकेंगे।

नियंत्रण कक्ष

- मतदान/पुनर्मतदान की तिथियों को प्राधिकार मुख्यालय, पटना/संबंधित जिला कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष रात-दिन कार्यरत रहेगा। पर्यवेक्षक उक्त अवसर पर अपनी सूचनाओं को नियंत्रण कक्ष में प्रेषित करेंगे, जिसे प्रभारी पदाधिकारी, नियंत्रण कक्ष द्वारा अभिलिखित किया जायेगा एवं इन सूचनाओं पर यथा आवश्यक त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

आरक्षित सूची के पर्यवेक्षक

जिन पर्यवेक्षकों को किसी पैक्स क्षेत्र के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है, वैसे पर्यवेक्षक सुरक्षित सूची के पर्यवेक्षक होंगे तथा उन्हें अल्पअवधि की सूचना पर कहीं भी भेजा जा सकता है। ऐसे पर्यवेक्षक किसी निजी अथवा सरकारी कार्य से अपने मुख्यालय का परित्याग ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं कर सकेंगे।

विमुक्ति हेतु अनुरोध

पर्यवेक्षकीय दायित्व से विमुक्ति हेतु अनुरोध सामान्यतया विचारणीय नहीं होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में **प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर** ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) किसी पर्यवेक्षक को विमुक्त कर सकेंगे।

अवकाश हेतु अनुरोध

पर्यवेक्षक अथवा पर्यवेक्षकों की सुरक्षित सूची के अधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) की अनुशंसा पर प्रमण्डलीय आयुक्त की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार के अवकाश में प्रस्थान नहीं कर सकेंगे, जब तक कि निर्वाचन कार्य समाप्त नहीं हो जाये।

भ्रमण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार

पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना भ्रमण कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) को यथेष्ट अग्रिम में उपलब्ध करा देंगे।

पर्यवेक्षकों को सुविधा

पर्यवेक्षकों के परिवहन, सुरक्षा, आवासन आदि हेतु समुचित व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्हें क्षेत्र भ्रमण हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्थानीय क्षेत्र/परिस्थितियों से भिज्ञ किसी सरकारी पदाधिकारी/कर्मी को उनके साथ प्रतिनियुक्त किया जायेगा। यथासंभव सरकारी/अर्द्धसरकारी अतिथिगृहों में उनको ठहराने की व्यवस्था की जायेगी तथा उनके मूवमेंट के लिये आवश्यकतानुसार पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

पर्यवेक्षकों के सामान्य दायित्व

पर्यवेक्षक मतदान दल के कर्मियों के प्रशिक्षण, मतपेटिका एवं मतदान सामग्रियों की व्यवस्था, मतदान केन्द्रों पर की गयी व्यवस्था, सशस्त्र बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोके जाने एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा कर सकेंगे एवं उसपर पैनी नजर रखेंगे। पर्यवेक्षक मतदान दल के कर्मियों से प्रश्न पूछकर उन्हें मतदान संचालन संबंधी नियमों की जानकारी होने का पता भी कर सकेंगे। पर्यवेक्षक प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता संबंधी निदेशों की पूरी जानकारी रखेंगे ताकि उसका अनुपालन प्रभावी एवं सार्थक ढंग से किये जाने पर नजर रख सकें।

पर्यवेक्षक निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन व्यय के लेखा संधारण के संबंध में आयोजित बैठक आदि में भी भाग लेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राधिकार द्वारा निर्वाचन व्यय सीमा एवं उनके लेखा के संधारण के संबंध में निर्गत अद्यतन दिशा निर्देशों से उम्मीदवारों/उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को अवगत करा दिया गया है। पर्यवेक्षक प्रत्याशियों के मित्रों एवं संबंधियों तथा उनके समर्थकों द्वारा किये जा रहे व्यय पर भी पैनी नजर रखेंगे एवं इसके उल्लंघन के मामलों को अभिलिखित कर प्राधिकार/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) की नजर में लायेंगे।

पर्यवेक्षकों का भ्रमण

- पर्यवेक्षक अपने आवंटित निर्वाचन क्षेत्र में कम-से-कम दो भ्रमण निश्चित रूप से करेंगे।

प्रथम भ्रमण के दौरान पर्यवेक्षक -

(1) नामांकन पत्रों की संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन पर नजर रखेंगे।

(2) रैण्डम तरीके से मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्रों का गठन प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप किया गया है।

(3) निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठकर निर्वाचन के लिये की गई व्यवस्था एवं तैयारी की समीक्षा करेंगे।

द्वितीय भ्रमण के दौरान पर्यवेक्षक -

(1) अपना ध्यान उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किये जाने पर केंद्रित करेंगे तथा यह देखेंगे कि लाउडस्पीकर के उपयोग, आम सभा, वाहनों का उपयोग आदि के संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्गत दिशा निदेशों का अनुपालन सभी संबंधित द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं।

(2) आश्वस्त हो लेंगे कि मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर कब्जा करने, भय का वातावरण उत्पन्न करने, मतदाताओं को भयभीत करने तथा मतदान को दूषित करने संबंधी प्रयासों को रोकने के लिये जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा यथोचित निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है।

(3) पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदाताओं से बातचीत कर यह पता लगायेंगे कि मतदान सही ढंग से चल रहा है अथवा नहीं। मतदान केन्द्र पर कब्जा किये जाने अथवा अन्य गंभीर अनियमितता प्रकाश में आने पर अविलम्ब इसकी सूचना निर्वाचन पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) तथा प्राधिकार को देंगे।

(4) मतदान केन्द्र के अंदर जा सकेंगे तथा मतदान दल द्वारा की जा रही कार्रवाई को देख सकेंगे।

(5) मतदान के समापन के उपरांत मतदान के प्रतिशत एवं मतदान के संबंध में भी वे पृथक प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

(6) मतदान के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन प्राधिकार द्वारा पुनर्मतदान हेतु लिये जाने वाले निर्णय के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि पर्यवेक्षक द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रों पर घटित घटनाओं, यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण प्राधिकार/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) को भेजा जायेगा।

(7) प्राधिकार के निदेशों के अधीन पर्यवेक्षक पूरे मतगणना कार्य पर भी नजर रखेंगे।

पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन

पर्यवेक्षक समय-समय पर अपना प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0), प्रमण्डलीय आयुक्त तथा प्राधिकार को भेज सकेंगे । अपने अंतिम प्रतिवेदन में, जो मतगणना समाप्त होने के 24 घंटे के अंदर भेजा जायेगा, पर्यवेक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं को अवश्य शामिल करेंगे-

(1) निर्वाचन का संचालन निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होने के संबंध में।

(2) उम्मीदवार/मतदाताओं से प्राप्त परिवाद पत्रों पर की गई कार्रवाई।

(3) मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदान दलों का गठन, सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति, विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं मतदान हिंसा को रोकने तथा मतदाताओं को भयभीत करने से रोकने हेतु की गई निरोधात्मक कार्रवाईयां।

(4) आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम एवं इसके उल्लंघन के मामले में की गई कार्रवाई।

(5) उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिसीमा से अधिक व्यय करने के बिन्दु पर नजर रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा किये गये उपाय।

प्रकीर्ण

(1) किसी भी परिस्थिति में पर्यवेक्षक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं करेंगे।

(2) प्रत्याशियों की बैठक अपने स्तर से आहूत नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई बैठक निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा बुलाई गई है, पर्यवेक्षक उसमें भाग ले सकेंगे।

(3) पर्यवेक्षक प्राधिकार को प्रेषित प्रत्येक प्रतिवेदन पर यथास्थिति स्पष्ट रूप से प्रथम प्रतिवेदन, द्वितीय प्रतिवेदन, तृतीय प्रतिवेदन आदि क्रमानुसार अंकित करेंगे।

(4) पर्यवेक्षकों को उनके द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के कारण किसी प्रकार प्रताड़ित (victimized) नहीं किया जाय, इस संबंध में राज्य निर्वाचन प्राधिकार सभी व्यावहारिक कदम उठायेगा।

पर्यवेक्षकों के लिये ''क्या करें'' (DO'S)

(1) प्राधिकार/ प्रमण्डलीय आयुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) द्वारा समय-समय पर नियत बैठकों में अवश्य भाग लें।

(2) सुनिश्चित करें कि निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक कागजात आपको सही हालत में प्राप्त कराये गये हैं।

(3) अपने कार्यालय एवं आवास का सही पता, दूरभाष संख्या सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को उपलब्ध करा दें। इनमें समय-समय पर हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना भी उन्हें दें।

(4) अपने भ्रमण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर इसे प्राधिकार तथा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को उपलब्ध करा दें।

(5) उन क्षेत्रों/मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर लें जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(6) सुनिश्चित करायें कि वांछित मात्रा में निर्वाचन सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।

(7) मतदान सूची की पूर्णता को भी सुनिश्चित करें।

(8) विधि एवं व्यवस्था की स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन कर लें।

(9) कम-से-कम पाँच प्रतिशत मतदान केन्द्रों की रैण्डम जाँच कर लें।

(10) आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों का अनुश्रवण करें।

(11) कुछ प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं भी सम्मिलित हो।

(12) जहाँ कहीं किसी मामले पर त्वरित कार्रवाई अपेक्षित हों उसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)/निर्वाचन पदाधिकारी/प्राधिकार की दृष्टि में तुरंत लायें।

(13) प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय का स्वयं आकलन करें।

(14) स्थानीय लोगों से बात करें तथा पोस्टर, इश्तेहार आदि की जाँच कर किसी स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचे।

(15) मुख्यालय छोड़ने से पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।

पर्यवेक्षकों के लिये ''क्या नहीं करें'' (DON'TS) -

(1) बैठकों से विमुक्ति हेतु कोई अनुरोध न करें।

(2) अपने प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु के संबंध में किसी के साथ चर्चा नहीं करें।

(3) मीडिया(प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक) से वार्ता नहीं करें।

(4) अपने आवासन/सुविधाओं के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी से कोई अनुचित माँग नहीं करें।

(5) निर्वाचन क्षेत्र आवंटित कर दिये जाने के पश्चात प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें।

(6) जिन मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो, उनसे संबंधित रिपोर्ट भेजने में कतई विलंब नहीं करें।